भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2326696

दिनांक: 27.06.2013

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी/06/20/2011/एफ.सी/1495

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय: जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग--123 (हर्बटपुर से बड़कोट बैण्ड) मोटर मार्ग किमी0 102 से 107 तक के भाग के चौड़ीकरण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को प्रत्यावर्तित किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक-3033/1जी-3141 (उत्तरकाशी) दिनांक 31.05.2013

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1624/1जी-3141(उत्तरकाशी) दिनांक 23.12.2010 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.11.2011 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग--123 (हर्बटपुर से बड़कोट बैण्ड) मोटर मार्ग किमी0 102 से 107 तक के भाग के चौड़ीकरण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को प्रत्यावर्तन एवं 425 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है किन्तु शर्त संख्या-- 15 की पूर्ण अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किये जाएंगे।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 10.00 हे0 मौजा-- स्यालना एवं पाली सिविल सोयम भूमि में (तहसील बड़कोट के अन्तर्गत मौजा स्यालना में 9.377 हे0 एवं मौजा-पाली में 0.623 हे0) वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.00 हे0 मौजा-- स्यालना एवं पाली सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु इसे वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशानिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर संरक्षित वन घोषित किया जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 10.00 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के ओदशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।

अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट उत्तरकाशी
पंजी संख्या 132
प्रभाग 12-1
दिनांक 15-7-2013

मानचित्रकार
कृ0 आव0 कार्य0 करें।
15/7

सहायक

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

संख्याः–जी0आई0:–2775 /7–1–2013–600(3489)/2010.

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 27 अगस्त/जुलाई 2013.

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (हरवर्टपुर से बड़कोट बैण्ड) मोटर मार्ग किमी0 102 से 107 तक भाग के चौड़ीकरण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 142/1जी–3141 (उ0का0) दिनांक 15–07–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग 123 (हरवर्टपुर से बड़कोट बैण्ड) मोटर मार्ग किमी0 102 से 107 तक भाग के चौड़ीकरण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/20/2011/एफ.सी./495 दिनांक 27–06–2013 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ग्राम–स्यालना में 9.377 हे0 तथा ग्राम–पाली में 0.623 हे0, तहसील–बड़कोट जिला–उत्तरकाशी में 10.00 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
3. वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन की गई उक्त भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा यथोचित प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। संरक्षित वन घोषित किये जाने की अधिसूचना की प्रति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

Scanned by CamScanner

8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. **प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण से 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
10. **प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत दुगने अवनत वन भूमि अर्थात 10.00 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव किया जायेगा।**
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।
17. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
19. **प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित कर दिया गया है।**
20. **प्रयोक्ता एजेन्सी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। उक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जायेगा।**
21. **प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।**

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0 वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14(4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्याः–जी0आई0:– 2775 / 7–1–2013–600(3489)/2010. दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद–उत्तरकाशी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
8. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, (NIC) उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

संख्याः जी0आई0: 2366 /7–1–2010–600(3364)/2009

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 09 सितम्बर, 2010

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–123 (हरवर्टपुर से बड़कोट बैण्ड) कि0मी0 70 से कि0मी0 75 के चौड़ीकरण हेतु 4.80 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 611/1जी–2981 (उ0का0) दिनांक 08–09–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–123 (हरवर्टपुर से बड़कोट बैण्ड) कि0मी0 70 से कि0मी0 75 के चौड़ीकरण हेतु 4.80 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/34/2010/एफ.सी./653 दिनांक 30–08–2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 9.60 हे0 काण्डी अवनत सिविल सोयम वन भूमि पर वन संरक्षण के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(i) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–177/2010–एफसी दिनांक 3–8–2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक की अध्यक्षता में दिनांक 5–7–2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्रावेधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित

Scanned by CamScanner

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।

6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रत्यावर्तित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के निर्माण के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की भूमि से सड़क निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
17. प्रयाक्ता एजेन्सी के द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे के उचित निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा। मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। उक्त योजना भारत सरकार को प्राप्त न होने की दशा में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन समझा जायेगा एवं भारत सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः ए–2–75/दस–77–14 (4)/74 दिनांक 3–2–1977 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–जी0आई0:– 2126 /7–1–2009–600(2288)/2008

प्रेषक,

श्री राजे॰ [illegible]
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 9, सितम्बर, 2009

जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 (धरासू–फूलचट्टी) के कि.मी. 176 से 182 तक के चौड़ीकरण हेतु 3.248 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 970 वृक्षों की पातन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–733/1जी–2371 (उत्तरकाशी) दिनांक 07–09–2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–94 (धरासू–फूलचट्टी) के कि.मी. 176 से 182 तक के चौड़ीकरण हेतु 3.248 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन एवं 970 वृक्षों की पातन की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/55/09/एफ.सी./588 दिनांक 26–08–2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 6.50 हे0 नन्दगाँव सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–V-06/XVIII(I)/2009 दिनांक 09–01–2009 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या–2 में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि उक्त सिविल भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण छः माह के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार की उक्त शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नन्दगाँव सिविल सोयम भूमि को राजस्व विभाग, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जायेगा व इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी

Scanned by CamScanner

भाग की आवश्यकता न रहने की यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, पुनः विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायगी।

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायगी।
8. वन विभाग तथा अन्य अधिकारियों को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर पर्याप्त वृक्षारोपण एवं उसका रख-रखाव किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य दल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस-पास की अतिरिक्त वन भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक-हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलबे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निस्तारित नहीं किया जायगा व उत्सर्जित मलबे के उचित निस्तारण हेतु मक डम्पिंग स्थलों को चयनित कर चिन्हित स्थलों पर ही मलबे का निस्तारण किया जायेगा। मक डिस्पोजल स्थलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित मलबे को किसी भी दशा में नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0-[illegible] दि0-1-1-2001, कार्यालय ज्ञाप सं0-110/26/व0स0-अ0वि0प्रा0वि0 सं0-104/26/व0स0-अ0वि0प्रा0वि0 दि0-4-1-2001, कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 3-2-1977 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या-टी0आई0-2126 /1-1-2009-600(2258)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner